



नई शिक्षा नीति और आदिवासी भाषाएँ

*अंकिता राज **डॉ. मनोहर कुमार दास

*शोधार्थी, शिक्षा विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, रांची, झारखंड

**सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड

ORCID: *0009-0005-7275-9942

DOI: <https://doi.org/10.70798/TGJCT/01020021>

सारांश

नई शिक्षा नीति भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उद्देश्य है। इस नीति का लक्ष्य शिक्षा प्रणाली को समावेशी समान और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इसके साथ ही, इस नीति में भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के महत्व को भी दिया गया है। आदिवासी भाषाएँ भारत की सांस्कृतिक इतिहास एवं धरोहर का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन यह भी क्षयग्रस्त हो रही हैं। यह शोधपत्र नई शिक्षा नीति और आदिवासी भाषाएँ संबंध को अध्ययन कर विवेचन करने का प्रयास करती है। आदिवासी भाषाएँ केवल संचार का माध्यम ही नहीं हैं, बल्कि यह आदिवासी समुदाय की पहचान इतिहास ज्ञान और परंपराएँ संजोए हुए हैं। यह भाषाएँ पर्यावरण और स्वाभाविक संस्कृति के साथ जीवन यापन करने की कला सिखाती हैं। यहाँ इस शोधपत्र के माध्यम से बताया जाने की कोशिश की गयी है, कि नई शिक्षा नीति के अनुसार आदिवासी भाषाएँ कैसे पढ़ाई जा सकती। नई शिक्षा नीति में आदिवासी भाषाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। आदिवासी बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से उनका संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ सीख सकेंगे। इसके अलावा, नई नीति में बहुभाषिकता को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे आदिवासी भाषाओं को बचाने में मदद मिलेगी। नई शिक्षा नीति के तहत आदिवासी भाषाओं में पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री का विकास किया जाएगा। इससे इन भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, शिक्षकों को आदिवासी भाषाओं में प्रशिक्षित करने की योजना भी बनाई गई है। हालांकि, आदिवासी भाषाओं को शिक्षा में शामिल करने के लिए कई चुनौतियाँ हैं, जैसे शिक्षण सामग्री और शिक्षकों की कमी, आदिवासी समुदाय की आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, और सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन न हो पाना। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार, शिक्षकों, समुदाय और नागरिक समाज के सहयोग की आवश्यकता है।

निष्कर्ष के रूप में, नई शिक्षा नीति आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति भाषाई विविधता को बचाने और आदिवासी समुदाय को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास करती है। आदिवासी भाषाओं को बचाने से न केवल उनकी संस्कृति और परंपराएँ सुरक्षित रहेंगी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता भी बनी रहेगी।

कुंजी शब्द : नई शिक्षा नीति, आदिवासी भाषाएँ, मातृभाषा आधारित शिक्षा, भाषा संरक्षण, समावेशी शिक्षा

परिचय

नई शिक्षा नीति (2020) भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। यह नीति न केवल शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को बेहतर बनाने की दिशा में काम करती है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर आदिवासी समुदायों, के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। आदिवासी भाषाएँ भारतीय समाज की महत्वपूर्ण धरोहर हैं,

जो न केवल संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करती हैं, बल्कि उनके जीवन और पहचान का भी एक अभिन्न हिस्सा हैं। हालांकि, भारत में आदिवासी भाषाओं का अस्तित्व और विकास गंभीर खतरे में है। इन भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि समाज में उपेक्षा और आधुनिक शिक्षा प्रणालियों में इनका स्थान सीमित हो गया है।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि यह न केवल शिक्षा के स्तर को बढ़ाए बल्कि आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा को सुलभ और प्रभावी बनाए। इसमें आदिवासी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में शामिल करने का भी प्रावधान है, ताकि आदिवासी बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सके।

इस शोध पत्र का उद्देश्य यह है कि हम नई शिक्षा नीति के तहत आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए किए गए प्रयासों का विश्लेषण करें। साथ ही यह भी देखें कि नीति कैसे आदिवासी समुदायों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने और उनके विकास के अवसरों को बढ़ाने में मदद कर रही है।

शोध के उद्देश्य

- नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आदिवासी भाषाओं के संरक्षण का मूल्यांकन करना।
- आदिवासी बच्चों के लिए मातृभाषा आधारित शिक्षा के लाभों का विश्लेषण करना।
- शिक्षा में सामाजिक असमानताओं और चुनौतियों की पहचान करना।
- आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित होने हेतु नीति प्रयासों का अध्ययन करना।
- मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का अध्ययन करना।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य

नई शिक्षा नीति (2020) का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को समग्र रूप से पुनर्गठित करना है ताकि यह 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इस नीति का लक्ष्य है कि हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जो न केवल उनकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाए, बल्कि उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी सक्षम बनाए। नई शिक्षा नीति 2020 को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह समावेशिता और विविधता का सम्मान करे जिससे समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिल सकें।

- **समावेशिता और आदिवासी समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना:** नई शिक्षा नीति का एक प्रमुख उद्देश्य समाज के हाशिये पर रहने वाले समूहों, जैसे कि आदिवासी समुदायों, को शिक्षा के मुख्यधारा में शामिल करना है। आदिवासी क्षेत्र अक्सर शिक्षा के मामले में पिछड़े होते हैं, और उनके पास उपयुक्त संसाधन, शैक्षिक अवसर और आवश्यक सुविधाएँ नहीं होतीं। नई शिक्षा नीति 2020 इस कमी को दूर करने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव करती है। इसके अंतर्गत आदिवासी समुदायों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित शिक्षा मॉडल तैयार किए गए हैं। जैसे कि स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने, आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों का विस्तार करने, और इन समुदायों के लिए सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात की गई है।
- **भाषा का महत्व:** नई शिक्षा नीति में भाषा को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, क्योंकि भाषा शिक्षा का आधार है। यह बच्चों के सीखने की क्षमता, मानसिक विकास, और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी होती है। नई शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का समर्थन करती है। विशेष रूप से आदिवासी बच्चों के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी मातृभाषा में शिक्षा उन्हें बेहतर तरीके से समझने सीखने और अपने विचारों को व्यक्त करने में मदद करती है। नई शिक्षा नीति में यह प्रस्ताव है कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए, ताकि वे अपने आधारभूत ज्ञान को मजबूत कर सकें। यह न केवल बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब आदिवासी बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे न केवल भाषा में दक्ष होते हैं बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर से भी जुड़ाव महसूस करते हैं।
- **आदिवासी भाषाएँ और उनकी स्थिति:** भारत में आदिवासी समुदायों की संख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास है। ये समुदाय देश के विभिन्न हिस्सों में निवास करते हैं। भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी भाषाएँ बोली जाती हैं, जो अलग-

अलग भाषाई परिवारों से संबंधित हैं। इनमें से कई भाषाएँ क्षेत्रीय और जनजातीय विशेषताएँ दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर-पूर्व भारत, और अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी भाषाओं की एक समृद्ध विविधता देखने को मिलती है। हालाँकि आदिवासी भाषाएँ भारतीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं लेकिन इन भाषाओं की स्थिति बहुत गंभीर है। समय के साथ इन भाषाओं का प्रयोग घटता जा रहा है और यह भाषाएँ खतरे में हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है कि आदिवासी बच्चे आमतौर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। स्कूलों में शिक्षा का माध्यम प्रायः हिंदी, अंग्रेजी या अन्य प्रमुख भाषाएँ होती हैं जिससे आदिवासी भाषाओं का प्रयोग घटता जा रहा है।

इसके अतिरिक्त आदिवासी समुदायों के लोग अक्सर अपनी भाषा में उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी महसूस करते हैं जिससे वे अपनी भाषाओं को छोड़कर मुख्यधारा की भाषाओं को अपनाने लगते हैं। यह आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है।

आदिवासी भाषाओं का संरक्षण और चुनौतियाँ:

- **शिक्षा की भाषा:** स्कूलों में आदिवासी भाषाओं का उपयोग नहीं होता और इस कारण से बच्चों का संपर्क अपनी मातृभाषा से घटता जा रहा है।
- **संसाधनों की कमी:** आदिवासी भाषाओं के लिए पाठ्यक्रम, किताबें, और अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध नहीं हैं जिससे इन भाषाओं में शिक्षा देना मुश्किल हो जाता है।
- **सामाजिक स्वीकृति का अभाव:** आदिवासी भाषाओं को समाज में एक सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता और मुख्यधारा की भाषाएँ जैसे हिंदी और अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है।
- **आधुनिकता का प्रभाव:** आधुनिकता और वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण आदिवासी समाज अपनी पारंपरिक भाषाओं और संस्कृति से दूर हो रहा है।

नई शिक्षा नीति और आदिवासी भाषाओं का संरक्षण

- **नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय और आदिवासी भाषाओं के संवर्धन से संबंधित प्रावधान:** नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं को माध्यम बनाकर शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। यह न केवल बच्चों के बौद्धिक विकास को बेहतर बनाता है, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति और पहचान से जोड़ने में भी मदद करता है। नीति में आदिवासी भाषाओं को शिक्षा के हिस्से के रूप में शामिल करने की सिफारिश की गई है, ताकि आदिवासी बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त हो सके और उनकी भाषाओं का संरक्षण हो।
- **आदिवासी भाषाओं को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना:** नई शिक्षा नीति में आदिवासी भाषाओं को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। इस नीति के तहत नई शिक्षा नीति में आदिवासी भाषाओं को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। इस नीति के तहत, राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्डों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आदिवासी बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध हो।

इसके अलावा, नई शिक्षा नीति ने यह भी प्रस्तावित किया है कि स्कूलों में स्थानीय भाषाओं और आदिवासी भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिल सके। इसके लिए विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाने की योजना है। साथ ही आदिवासी भाषाओं में किताबों, शैक्षिक सामग्री और अन्य संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया है। राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्डों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आदिवासी बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध हो। इसके अलावा ने यह भी प्रस्तावित किया है कि स्कूलों में स्थानीय भाषाओं और आदिवासी भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिल सके। इसके लिए विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाने की योजना है। साथ ही, आदिवासी

भाषाओं में किताबों, शैक्षिक सामग्री और अन्य संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया है।

- **मातृभाषा आधारित शिक्षा का महत्व और नई शिक्षा नीति में इसकी भूमिका:** नई शिक्षा नीति में मातृभाषा आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है, खासकर प्राथमिक स्तर पर। नई शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का मानसिक विकास बेहतर होता है और वे अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। यह शिक्षा के लिए एक सशक्त आधार तैयार करता है, जिससे बच्चों को बेहतर समझ और अधिक क्षमता मिलती है। आदिवासी समुदायों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आदिवासी बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वे अपनी संस्कृति, परंपराओं और पहचान को भी बनाए रख पाते हैं।

मातृभाषा में शिक्षा से बच्चों का संचार कौशल भी बेहतर होता है, जिससे वे अपनी भावनाओं और विचारों को अधिक सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। इसके अलावा, यह भी प्रस्तावित किया गया है कि आठवीं कक्षा तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि वे अपनी शिक्षा को मजबूत आधार पर शुरू कर सकें।

- **आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा का समावेशी मॉडल:** नई शिक्षा नीति (2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली को समावेशी लचीला और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति का उद्देश्य भारतीय समाज के सभी वर्गों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है, विशेष रूप से उन समुदायों को जो अब तक शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर रहे हैं, जैसे कि आदिवासी समुदाय। आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए 2020 ने कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 में यह प्रावधान है कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई दी जाए। यह उन्हें अधिक आत्मविश्वास प्रदान करता है और वे आसानी से शिक्षण सामग्री को समझ पाते हैं। जब बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वे न केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से बेहतर होते हैं, बल्कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत होती है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक सामग्री, जैसे आदिवासी लोकगीत, कथाएँ, परंपराएँ, और रीति-रिवाजों को शामिल किया जाए। यह सामग्री बच्चों को उनकी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने का काम करती है और उन्हें यह समझने में मदद करती है कि उनकी संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है। जब बच्चों को उनकी संस्कृति और परंपराओं के बारे में पढ़ाया जाता है तो उनका आत्म-सम्मान और सामाजिक पहचान मजबूत होती है जिससे वे अपने समाज से जुड़ाव महसूस करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल शिक्षा और तकनीकी उपकरणों का उपयोग आदिवासी बच्चों को शिक्षा तक पहुँचने में मदद करने के लिए किया गया है, खासकर उन बच्चों के लिए जो दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं। इन क्षेत्रों में अक्सर शैक्षिक संसाधनों की कमी होती है, और स्कूलों तक पहुँच भी मुश्किल होती है। इस समस्या का समाधान डिजिटल शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है।

नई शिक्षा नीति के तहत, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई-पुस्तकें, वीडियो लेक्चर, और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म आदिवासी बच्चों को उनके घरों के पास या दूर-दराज के इलाकों में शिक्षा प्रदान करने में मदद करेंगे। इन डिजिटल संसाधनों के माध्यम से आदिवासी बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और वे मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ सकते हैं जो पहले उनके लिए संभव नहीं था। इसके अलावा, डिजिटल शिक्षा बच्चों को तकनीकी साक्षरता भी प्रदान करती है, जिससे वे भविष्य में अधिक रोजगार और समाज में एक सक्रिय सदस्य बनने के लिए तैयार हो सकते हैं।

नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यक्रम और योजनाएँ बनाई जाएं। आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा को और सुलभ बनाने के लिए स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जो आदिवासी बच्चों की विशेष जरूरतों को समझते हैं और उन्हें उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, समावेशी शिक्षा के तहत विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम मानसिक विकास कार्यक्रम और काउंसलिंग सेवाएँ भी प्रदान की जाएंगी, ताकि आदिवासी बच्चों

को शिक्षा में रुकावटों का सामना न करना पड़े इसके साथ ही, आदिवासी बच्चों के लिए स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि वे अपनी शिक्षा की शुरुआत अपने ही समाज और संस्कृति से जुड़े वातावरण में कर सकें। यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि आदिवासी बच्चों को उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान को सम्मान देते हुए शिक्षा प्राप्त हो।

आदिवासी भाषाओं से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **भाषाई विविधता और जटिलता:** भारत में आदिवासी समुदायों की भाषाएँ अत्यधिक विविध और जटिल हैं। इनमें से कुछ भाषाएँ बहुत छोटी हैं और उनके पास लिखित रूप में संसाधन नहीं होते। इन भाषाओं का संरक्षण और शिक्षा के लिए इनका उपयोग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इन भाषाओं में किताबें और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती।
- **भाषाओं का लुप्त होना:** कई आदिवासी भाषाएँ खतरे में हैं और तेजी से लुप्त हो रही हैं। नई पीढ़ी के बीच इन भाषाओं का प्रयोग कम हो रहा है क्योंकि आदिवासी बच्चे मुख्यधारा की भाषाओं जैसे हिंदी और अंग्रेजी को अधिक महत्व देते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए सही रणनीतियाँ जरूरी हैं।
- **शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण:** आदिवासी भाषाओं में शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है। अधिकांश शिक्षक स्थानीय भाषाओं को नहीं जानते हैं और अगर जानते भी हैं तो वे आदिवासी भाषाओं में शिक्षण देने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण से गुजरने में सक्षम नहीं होते।
- **शिक्षक प्रशिक्षण:** आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की कमी है। अधिकतर शिक्षक भारतीय शिक्षा प्रणाली में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। उन्हें आदिवासी भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता और इन भाषाओं में शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
- **संसाधनों की कमी:** आदिवासी भाषाओं में शिक्षा सामग्री की भारी कमी है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षक गाइड और शैक्षिक उपकरण जैसे संसाधनों का अभाव है। इसके कारण आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मुश्किल होती है।

समाधान

- **समुदाय की भागीदारी:** आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और शिक्षा में समुदाय की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानीय समुदायों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ सकें। इसके लिए आदिवासी समुदायों को जागरूक करने और उन्हें शिक्षा की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।
- **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** आदिवासी भाषाओं में शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। राज्य सरकारों और शैक्षिक संस्थानों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जिनमें शिक्षक आदिवासी भाषाओं संस्कृति और क्षेत्रीय शिक्षा के तरीकों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इससे शिक्षकों की क्षमता बढ़ेगी और वे आदिवासी बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा दे सकेंगे।
- **सरकारी समर्थन और नीति:** सरकारी समर्थन आवश्यक है ताकि आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा के संसाधन जुटाए जा सकें। राज्य और केंद्र सरकारों को आदिवासी भाषाओं के लिए शिक्षा सामग्री विकसित करने के लिए विशेष बजट आवंटित करना चाहिए। इसके अलावा आदिवासी स्कूलों में बुनियादी ढाँचे के सुधार के लिए भी नीति बनाई जानी चाहिए ताकि आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके।
- **शैक्षिक सामग्री का विकास:** आदिवासी भाषाओं में पाठ्य सामग्री किताबें, और ऑनलाइन शैक्षिक संसाधनों का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों, स्थानीय भाषाविदों और विशेषज्ञों को मिलाकर सामग्री तैयार की जा सकती है। इससे आदिवासी बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

केस स्टडी: आदिवासी भाषा शिक्षण के उदाहरण

- **संथाली भाषा में शिक्षा – झारखंड:** झारखंड राज्य में आदिवासी समुदायों की एक बड़ी संख्या संथाली भाषा बोलती है। इस राज्य में संथाली भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के कई सफल प्रयास किए गए हैं। झारखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने संथाली को एक आधिकारिक भाषा के रूप में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया। संथाली भाषा में पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया गया और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।
झारखंड के कई आदिवासी क्षेत्रों में यह प्रयास सफल रहा है, जहां बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। संथाली भाषा में पढ़ाई के कारण बच्चों को बेहतर समझ और आत्मविश्वास मिला और उनका शैक्षिक प्रदर्शन भी बेहतर हुआ। यह मॉडल यह दिखाता है कि जब बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलती है तो वे बेहतर तरीके से सीखते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं।
- **गोंडी भाषा में शिक्षा - मध्य प्रदेश:** मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गोंडी भाषा बोलने वाले बच्चों के लिए कई शिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने गोंडी भाषा में पाठ्य सामग्री तैयार की और इसे सरकारी स्कूलों में लागू किया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से बालाघाट और छिंदवाड़ा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में सफल रहा। गोंडी में शिक्षण के परिणामस्वरूप बच्चों का पाठ्यक्रम समझने में अधिक आसानी हुई, और उन्हें शिक्षा का अधिक लाभ मिला। गोंडी भाषा के शिक्षक प्रशिक्षित किए गए और बच्चों को अपनी स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। इसके परिणामस्वरूप, शिक्षा में उत्थान हुआ और बच्चे अपनी पहचान को संरक्षित रखते हुए बेहतर तरीके से आगे बढ़े।
- **कोंकणी भाषा में शिक्षा – गोवा:** गोवा में कोंकणी भाषा आदिवासी समुदायों की प्रमुख भाषा है। यहां पर कोंकणी भाषा को शिक्षा में शामिल करने के लिए कई पहल की गई हैं। गोवा सरकार ने कोंकणी भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया और इसे स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बनाया। गोवा में कोंकणी में शिक्षा देने के लिए पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद किया गया और स्कूलों में विशेष कोंकणी शिक्षक नियुक्त किए गए। कोंकणी भाषा में बच्चों की शिक्षा के परिणामस्वरूप छात्रों के शिक्षा स्तर में सुधार हुआ और उनकी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिला। इस मॉडल ने यह सिद्ध किया कि स्थानीय भाषाओं में शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास दोनों होता है।

निष्कर्ष

इस शोध पत्र के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीति 2020 आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। नई शिक्षा नीति ने आदिवासी समुदायों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने और उनकी मातृभाषाओं में शिक्षा देने का स्पष्ट समर्थन किया है। नीति में स्थानीय और आदिवासी भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाने, आदिवासी बच्चों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने, और उनके लिए विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया है। यह इन समुदायों के लिए एक अवसर है, जिससे वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इन भाषाओं का संरक्षण केवल एक शैक्षिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह इन समुदायों की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण भी है। हालांकि नई शिक्षा नीति 2020 में आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इनके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं। आदिवासी भाषाओं में शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की कमी संसाधनों की अभाव और बुनियादी ढाँचे की कमजोरियाँ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं।

संदर्भ

- भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय. <https://www.education.gov.in/en/nep-new>
- कस्तूरीरंगन, के. (2020). *भारत की नई शिक्षा नीति: एक विश्लेषण*. प्रभात प्रकाशन.
- एनसीईआरटी. (2021). *भारत में बहुभाषिक शिक्षा: चुनौतियाँ और संभावनाएँ*. <https://ncert.nic.in/>
- यूनेस्को. (2021). *भारत की नई शिक्षा नीति और बहुभाषावाद*. <https://unesdoc.unesco.org/>

The Global Journal of Contextual Thought

(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)

Volume: 1, Issue: 2 October, 2025 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

मोहंती, ए. के. (2019). भारत में आदिवासी भाषाओं का संरक्षण. जवाहर पब्लिकेशन.

भारतीय आदिवासी अनुसंधान संस्थान. (2018). भारत की लुप्तप्राय आदिवासी भाषाएँ. <https://tribal.nic.in/>

अब्बी, ए. (2012). अंडमान द्वीप समूह की संकटग्रस्त भाषाएँ. डी ग्रुपटर.

मिश्रा, पी. (2020). भारत में आदिवासी भाषाओं की स्थिति. भारतीय भाषा सर्वेक्षण.

एथनोलॉग. (2023). विश्व की आदिवासी भाषाओं का डेटाबेस. <https://www.ethnologue.com/>

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी). (2022). आदिवासी बच्चों के लिए बहुभाषी शिक्षा.

<https://ncert.nic.in/>

